नीलामी–सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस संस्थान मे अनुपयोगी साज–सज्जा/मशीन/फर्नीचर एवं विभिन्न प्रकार का स्क्रैप आदि जहाँ है जिस स्थिति मे है, की सार्वजनिक नीलामी संस्थान के प्रांगण मे दिनांक **29.09.2016** को अपरान्ह **3:00** बजे निर्धारित शर्तो के अधीन की जायेगी।

इच्छुक केता उक्त तिथि से 2 दिन पूर्व किसी भी कार्य दिवस मे संस्थान मे स्वयं के व्यय पर पधारकर सामान देख सकते है तथा शर्तो की जानकारी प्राप्त कर सकते है।

शर्ते एवं नियम निम्नवत् है।

1– नीलामी की वस्तुओ की बोली लगाने से पूर्व (विडर) केता को शासकीय बोली का 10 प्रतिशत (न्यूनतम रू0 50000.00) धरोहर धनराशि संस्थान के कैशियर के पास नकद जमा कराना होगा। धनराशि जमा कराने के पश्चात ही केता नीलामी प्रकिया मे भाग ले सकेगा।

2– उच्चतम नीलामी बोली पूर्ण होने के पश्चात कुल नीलामी बोली का 1/4 भाग (25 प्रतिशत) धनराशि संस्थान के कैशियर के पास तत्काल जमा कराना होगा। न जमा कराने की स्थिति मे 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि (न्यूनतम रू0 50000.00) जब्त कर ली जायेगी।

3– उच्चतम नीलामी बोली का 3/4 भाग (75 प्रतिशत) धनराशि+बिक्रीकर एंव अन्य कर नीलामी प्रक्रिया का निदेशक महोदय से अनुमोदन प्राप्त होने के दस दिन के भीतर संस्थान मे नकद जमा कराना होगा।

4– निदेशक महोदय से अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात् 10 दिन के भीतर 75 प्रतिशत धनराशि+बिक्रीकर एवं अन्य कर न जमा करने की स्थिति मे पूर्व मे जमा 25 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

5– नीलामी की वस्तुओ को विलम्बतम् 10 दिन के भीतर संस्थान के भण्डार से स्वयं के व्यय पर उठाना होगा 10 दिन के भीतर न उठाने की दशा मे निर्धारित दर से भण्डार के कक्षो का किराया वसूला जायेगा।

6– कुल नीलामी बोली के अतिरिक्त नियमानुसार बिक्री एवं अन्य कर अलग से बसूला जायेगा।

7– समस्त नीलामी प्रकिया को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष/अधोहस्ताक्षरी को निहित होगा। उक्त के सम्बन्ध मे कोई पत्राचार स्वीकार नही किया जायेगा।

8– नीलामी मे भाग लेने के लिए बोली कर्ता को एक फोटोयुक्त आई0डी0 की छाया प्रति जोकि सरकार द्वारा मान्य हो एवं दो फोटो लाना आवश्यक है।

9– संस्थान द्वारा जारी नीलामी हेतु प्रवेश पत्र प्राप्त करने का समय प्रातः 10:30 से 11:30 बजे तक।

10– बोली कर्ता को नीलामी हेतु जारी प्रवेश पत्र के साथ फोटोयुक्त आई0डी0 एवं दो फोटो धरोहर राशि सहित संस्थान के कैशियर के पास जमा करने के उपरान्त प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति प्रदान की जायेगी। उपरोक्त कार्य का समय प्रातः 11:30 से दोपहर 2:00 बजे तक रहेगा।

11– केवल प्रवेश पत्र धारक बोली कर्ता ही नियत स्थान पर अपरान्ह 3:00 बजे बोली लगाने का पात्र होगा इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का प्रवेश उक्त स्थिान पर अवैध होगा।

10– समस्त विवाद का न्याय क्षेत्र बरेली होगा।

दिनांक–06.09.2016

(सै0अली हुजूर)
प्रधानाचार्य
राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान सी0बी0गंज बरेली।